



प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विभाग में बॉडी शॉपिंग के आधार पर रखे गये यू0पी0 स्टेट एगो के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-मु0प्र0 लेखा/1435/वित्तीय स्वीकृति 2026-27 दिनांक 09 अप्रैल 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय यू0पी0 स्टेट एगो के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों को बॉडी शॉपिंग के आधार पर नियोजित किये गये कार्मिकों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उनके देयों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-05-कृषि विभाग में बॉडी शॉपिंग के आधार पर रखे गये यू0पी0 एगो के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों के देयों का भुगतान के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रुपये 253.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रुपये 253.00 लाख (रुपए दो करोड़ तिरपन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (2) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
- (4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (5) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (6) कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
- (7) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।
- (8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका दायित्व कृषि निदेशक, 50प्र0 का होगा।
- (10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नहीं की जायेगी।
- (11) यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि0 के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों को बॉडी शॉपिंग के आधार पर नियोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद/कार्यो में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,53,00,000 (रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401008000500 कृषि विभाग में बॉडी शॉपिंग के आधार पर रखे गये यू.पी. एगो के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों के देयों का भुगतान मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत रहे है।

भवदीय
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-26/2026 /001-507(1)-2026-1783922-12-2099-11-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. प्रबन्धन निदेशक, यू0पी0 स्टेबट एगो इण्डास्ट्रियल कॉरपोरेशन लि0, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
डॉ रंजना दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।